भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3194**

दिनांक 22 मार्च, 2018 को उत्‍तर के लिए

**संयुक्त राष्ट्र महिला रिपोर्ट**

**3194.श्री देवेंद्र गौड टी॰ :**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय सतत विकास संबंधी 2030 में वादों की कार्य में परिणतिः लैंगिक समानता संबंधी संयुक्त राष्ट्र महिला रिपोर्ट को किस रूप में लेता है, जिसमें कहा गया है कि देश में दलित महिलाओं की मृत्यु की औसत आयु ऊंची जाति की महिलाओं की तुलना में 14.6 वर्ष कम है;

(ख) स्वच्छता, पेय जल और स्वास्थ्य सुविधाएं किस सीमा तक दलित महिलाओं की ऊंची जाति की महिलाओं की तुलना में कम आयु में मौत का कारण बन रही हैं; और

(ग) मंत्रालय देश में दलित महिलाओं के प्रति अपनी कार्यप्रणाली में किस तरह के बदलाव लाने की योजना बना रहा है, ताकि उनकी जीवन-अवधि को बढ़ाया जा सके?

**उत्‍तर**

श्रीमती मेनका संजय गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में मंत्री

(क) से (ग) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे देश में महिलाओं, जिनमें दलित महिलाएं भी शामिल हैं, के कल्‍याणार्थ विभिन्‍न स्‍कीमें/कार्यक्रम क्रियान्‍वित कर रहा है, जैसे i) **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)** : इसका उद्देश्‍य घटते बालक-बालिका अनुपात की समस्‍या और पूरे जीवन चक्र में महिलाओं के सशक्‍तीकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान करना है। यह महिला एवं बाल विकास, स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालयों का त्रि-मंत्रालयी प्रयास है; ii) **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)** (तत्‍कालीन प्रसूति लाभ कार्यक्रम) : यह योजना गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को स्‍तनपान कराने वाली माताओं के बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य और पोषण के लिए उन्‍हें नकद प्रोत्‍साहन राशि प्रदान करके उनके लिए अनुकूल वातावरण के सृजन में योगदान कर रही है; iii) **किशोरियों हेतु स्‍कीम** का उद्देश्‍य 11-18 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों को बेहतर पोषण, जीवन कौशल, गृह कौशल और व्‍यावसायिक प्रशिक्षण के माध्‍यम से सशक्‍त बनाना तथा उनकी सामाजिक स्‍थिति में सुधार करना है; iv) **समेकित बाल विकास सेवा** **(आईसीडीएस) स्‍कीम** (जिसे अब आंगनवाड़ी सेवा स्‍कीम कहा जाता है) राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के माध्‍यम से क्रियान्‍वित की जा रही है । इसका उद्देश्‍य 6 वर्ष तक की आयु के बच्‍चों का समग्र विकास करना और गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को स्‍तनपान कराने वाली माताओं की पोषाहारीय जरूरतों को पूरा करना है । 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्‍चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को स्‍तनपान कराने वाली माताओें को आईसीडीएस स्‍कीम के अंतर्गत निम्‍नलिखित 6 सेवाओं से लाभ प्राप्‍त हो रहा है : (i) पूरक पोषण, (ii) स्‍कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, (iii) पोषण और स्‍वास्‍थ्‍य शिक्षा, (iv) टीकाकरण, (v) स्‍वास्‍थ्‍य जांच, और (vi) संदर्भ सेवाएं; v) **राष्‍ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) :** एनएनएम की शुरूआत 08 मार्च, 2018 को ऐसे 'सुपोषित भारत' का निर्माण सुनिश्‍चित करने के उद्देश्‍य से की गई थी, जो रूद्धविकास, दुर्बलता और रक्‍ताल्‍पता से मुक्‍त होगा। राष्‍ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्‍य बच्‍चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं के पोषण दर्जे में सुधार करना और बच्‍चों तथा महिलाओं में रक्‍ताल्‍पता को कम करना है ।

इसके अतिरिक्‍त, पेयजल और स्‍वच्‍छता मंत्रालय के अंतर्गत स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रामीण) 02 अक्‍तूबर, 2014 को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्‍य देश में सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालयों की सुविधाएं उपलब्‍ध कराकर 02 अक्‍तूबर, 2019 तक खुले शौच से मुक्‍त भारत का निर्माण करना है । इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्‍त प्राथमिकता दी गई है । स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत आधार सर्वेक्षण, 2012 के अनुसार, वैयक्‍तिक परिवार शौचालयों के निर्माण के लिए अनुसूचित जाति के परिवारों को 12,000/-रुपये की प्रोत्‍साहन राशि देने का प्रावधान है और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के घटकों के लिए वार्षिक बजट आबंटन का क्रमश: 22% और 10% निर्धारित किया गया है ।

\*\*\*\*\*